

## ग्राम का 'हर घर जल' प्राप्ति पारण पा। नामः।

(संदर्भ: पैरा 5.4, 'ग्राम पंचायत के लिए मार्गदर्शिका और ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वी.डब्ल्यू.एस.सी.' का पृष्ठ 53)

'ग्राम पंचायत एवं वीडब्ल्यूएससी के लिए मार्गदर्शिका' के प्रावधानके तहत गाँव में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने का ग्राम पूर्ण होने के बाद एक उद्घाटन/ कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा, जिसमें उस गाँव के फौलड इंजीनियर एक स्पोष और प्रमाणपत्र के आधार पर ग्राम सभा एवं ठाराव पास करेगी। उसके बाद ग्राम पंचायत / वी.डब्ल्यू.एस.सी.'हर घर जल' प्रमाण पत्र जारी करेगी।

जल जीवन मिशन

हर घर जल - प्रमाण पत्र

मैं कमिटी प्रमुख, सरपंच/अध्यक्ष, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति/पानी समिति, ओडी ओडी, ग्राम पंचायत, लाहौर जिला, राज्य का उत्तर दिल्ली और मैं पंचायत चुनौती पंचायत तंत्रिका, प्रशासित करता हूं कि गाँव के दर्ता को जल कनेक्शन प्रदान कर दिया गया है। हर नल से पर्याप्त मात्रा में और नियमित रूप से शुद्ध जल मिल रहा है। यह प्रमाणपत्र ग्राम सभा के संकल्प/ ठाराव संतारीख तारीख के आधार पर आज 1/1/2023 जारी किया गया है।

ग्राम पंचायत चुनौती और  
कमिटी प्रमुख (दिजिनॉर)  
हस्ताक्षर

(सरपंच/ वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति  
के अध्यक्ष/ अध्यक्ष का नाम)

(पंचायत संचिव का नाम)

आधिकारिक मुहर

आधिकारिक मुहर

उे जे एम. ऐप मैं इस प्रक्रिया को शामिल किया गया है। संबंधित पर्यवेक्षी अधिकारी/ फौलड इंजीनियर के प्रमाणपत्र तथा ग्राम सभा का संकल्प/ ठाराव निम्नानुसार है: